




मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, 1- रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर
 MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICES COMMISSION, 1 RESIDENCY AREA, INDORE
 प्रवेश पत्र / Admit Card
 राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2012
 STATE SERVICE PRELIMINARY EXAM 2 012

आवेदन क्रमांक / APPLICATION No.	अनुक्रमांक / ROLL NUMBER	श्रेणी / CATEGORY	जन्म की तारीख/ DATE OF BIRTH	विकलांग/ PH	लिंग / Gender	भूतपूर्व सैनिक/ Ex-Service Man
P121811387724	366175	UR	26/06/1984	NO	MALE	NO

उम्मीदवार का नाम एवं पता/ Candidate's Name and Address :

SURENDRA RAGHUWANSHI
 LIG 303 NEW SUBHASH NAGAR BHOPAL
BHOPAL
 MADHYA PRADESH
 462023



804833364244-132923579214938



आवेदक के हस्ताक्षर/Signature of the
Candidate

परीक्षा की तारीख व समय/ Date & Time of Examination	विषय / Subject	परीक्षा केंद्र कोड / Exam Center Code	परीक्षा केंद्र का नाम व पता / EXAM CENTER NAME
24/02/2013 10:00 AM TO 12:00 NOON	GENERAL STUDIES (सामान्य अध्ययन)	25/94	Sindhu Middle School, Nav Yuwak Sabha, Bairagarh, Bhopal, (M.P.)
24/02/2013 02:00 PM TO 04:00 PM	GENERAL APTITUDE TEST (सामान्य अभिरुचि परीक्षण)		

:: महत्वपूर्ण निर्देश ::

परीक्षा हॉल में मोबाईल/पेजर/किसी भी प्रकार का केलक्यूलेटर आदि पूर्णतः प्रतिबंधित है।

- प्रवेश पत्र की जांच कर लें और उसमें कोई विसंगति हो तो परीक्षा नियंत्रक, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को तुरन्त सूचित करें।
- म.प्र. लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में अपना आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम एवं वर्ष, श्रेणी तथा जन्मतिथि अवश्य लिखें।
- परीक्षा हॉल में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश पत्र को अनिवार्य रूप से साथ में लायें।
- अपने प्रवेश पत्र की सुरक्षा के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तथा आवेदक प्रवेशपत्र की एक प्रति स्वयं अपने पास रखें, यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा में प्रवेश पत्र का उपयोग किया जाता है तो यह सिद्ध करने का दायित्व आपका होगा कि आपने अन्य व्यक्ति की सहायता नहीं ली है।
- यदि आप परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पश्चात आते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- कृपया ध्यान रखें परीक्षा 'रोजगार एवं निर्माण' में प्रकाशित म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2012 के विज्ञापन क्र. 03/परीक्षा/2012/01.10.2012 के अंतर्गत संपादित की जायेगी।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने आयोग से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह आप जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
- परीक्षा कक्ष में निर्धारित अनुक्रमांक पर ही बैठें एवं उत्तर-पुस्तिका पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर अवश्य करें। प्रश्न पत्र के सेट के गोले को काले पेन से ध्यान से भरें, समस्त कार्य काले डॉट पेन से ही करें। उत्तर पत्रक में सही उत्तर के गोले को भी काले डॉट पेन से ही भरें।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुये आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जायेगा। ऐसी स्थिति में आयोग विज्ञापन में दर्शित अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कार्यवाही करेगा।
- जिन आवेदकों के आनलाईन प्रवेश पत्र में उनके फोटो तथा हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं या अनुपलब्ध हैं, ऐसे आवेदक निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करें :-
(अ) अपने आनलाईन प्रवेश पत्र पर विहित स्थान पर अपना फोटो चिपकाकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करायें।
(ब) अपनी फोटो की एक प्रति साथ ले जायें उक्त फोटो के पीछे अपना नाम, एप्लीकेशन नम्बर एवं रोल नम्बर अंकित करें।
(स) अपने साथ अपने आवेदन पत्र की रसीद की प्रति (जो फार्म जमा करते समय प्राप्त हुई थी) ले जायें तथा मांगे जाने पर परीक्षक को प्रस्तुत करें।
- प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक अपनी आपत्ति आयोग कार्यालय में परीक्षा संपन्न होने के 10 दिवस के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा, न ही पत्राचार किया जायेगा।
- परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष के विक्षक के हाथ में ही सोपें एवं उनकी अनुमति पश्चात ही कक्ष छोड़ें।
- परीक्षा परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे अतः परीक्षा परिणाम तथा अन्य जानकारी हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in एवं www.mppsc.com को देखें।

नोट :- अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पि.वर्ग के आवेदकों द्वारा केन्द्राध्यक्ष को अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा यात्रा हेतु आवश्यक टिकट जिसमें यात्रा का स्थान व किराये की राशि का स्पष्ट उल्लेख हो, प्रस्तुत करने पर यात्रा भत्ते का भुगतान केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।